(66)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/2371 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.01.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 170/अपील/2016-17.

---

1. किरणकुमार पिता स्व. हीरालाल मृत तर्फे वारिसान
   अ. विमला मोदी पति स्व. किरणकुमार मोदी
   ब. संजय पिता स्व. किरणकुमार मोदी
   स. संदीप मोदी पिता स्व. किरणकुमार मोदी
2. विमला मोद पति स्व. किरणकुमार मोदी

   निवासी-125, भंवरकुआ इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

पुरूषोत्तम पिता स्व. हीरालाल मोदी

61, आर.एन.टी. मार्ग इंदौर .....अनावेदक

श्री विक्रान्त होल्कर, अभिभाषक, आवेदक

श्री अनिल कुमार जैन, अभिभाषक, अनावेदक

-:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 30.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार इंदौर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पिपल्याराव स्थित सर्वे नंबर 111 रकबा 0.416 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी इंदौर द्वारा अपील प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 21.11.2005 से तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 10.04.2002 निरस्त किया गया है। अत: अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में उसका नामांतरण किया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/अ-6/2015-16 दर्ज कर दिनांक 06.05.2016 को आदेश पारित कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। अनावेदक द्वारा उक्त आदेश को पुनर्विलोकन में लिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 25.07.2016 को अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर से पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27.10.2016 को पुनर्विलोकन आवेदन निरस्त किया गया। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष दिनांक 28.01.2017 को अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.01.2017 को अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र मान्य किया जाकर अपील ग्राह्य करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही स्थगित की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अवधि के बिंदु पर आदेश पारित करने के पूर्व दूसरे पक्ष को भी सुनना अनिवार्य है, किंतु अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण को बगैर सुने अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में गंभीर भूल की गई है। अत: अपर आयुक्त का आदेश नैसर्गिक न्याय दृष्टांतों के विपरीत होकर अवैध व शून्य है। इस तर्क के समर्थन में 1988 राजस्व निर्णय 187 (उच्च न्यायालय, 214 1985 राजस्व निर्णय 337 तथा 1984 राजस्व निर्णय 410 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(2) नामांतरण पंजी में दिनांक 10.04.2001 को पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रकरण क्रमांक 20/अपील/2000-01 में दिनांक 21.11.2005 में पारित आदेश की जानकारी अनावेदक को पूर्व से रही है, उक्त प्रकरण में अनावेदक की ओर से अभिभाषक व स्वयं अनावेदक उपस्थित होते रहे हैं। नामांतरण पंजी पर दिनांक 10.04.2001 को तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते

हुए प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया, जिसकी जानकारी प्रांरभ से अर्थात् 2005 से लेकर वर्ष 2014 में सहखातेदार ओमप्रकाश पिता हीरालाल मोदी के द्वारा प्रस्तुत बंटवारे में अनावेदक को रही है। प्रकरण में अनावेदक भी उपस्थित रहा है तथा प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं में भी अनावेदक के द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। अनावेदक के द्वारा असत्य आधारों पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से विलंब से अपील प्रस्तुत करने की सहायता चाही गई और बिना कारण दर्शाये अनावेदक को विलंब की माफी प्रदान करने में अपर आयुक्त द्वारा गंभीर वैधानिक भूल की गई है।

(3) अपर आयुक्त द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि अनावेदक के द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र असत्य आधारों पर प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अनावेदक के उक्त आवेदन पत्र पर गंभीरतापूर्वक बिना विचार किये एवं तहसीलदार के प्रकरण का बिना अवलोकन किये अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान का आवेदन स्वीकार किया गया। अत: अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील असत्य आधारों पर प्रस्तुत की गई होने से किसी भी दशा में प्रचलन योग्य न होकर निरस्त किये जाने योग्य है। इस तर्क के समर्थन में 1968 रेवेन्यू निर्णय 576 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(4) अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.01.2017 को पारित आदेश आवेदकगण के पीठ पीछे आवेदकगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है, उक्त आदेश में आवेदकगण को आहुत करने का आदेश दिया गया है, किंतु आवेदकगण को प्रकरण में दिनांक 03.04.2017 को सूचना पत्र जारी करने का पुन: आदेश दिया गया, जिसके आधार पर आवेदकगण दिनांक 06.06.2017 को प्रकरण में उपस्थित हुए तथा वकील पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 10.07.2017 को प्रकरण में पेशी दिनांक नियत की गई। दिनांक 30.01.2017 को पारित आदेश की जानकारी आवेदकगण को दिनांक 10.07.2017 को प्रकरण का अवलोकन करने पर प्राप्त हुई, जानकारी प्राप्त होने के दिनांक को ही आवेदकगण के द्वारा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर आवेदकगण को दिनांक 13.07.2017 को प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई, आदेश की जानकारी से सदर निगरानी समय सीमा में प्रस्तुत है।

(5) अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि विधान की मंशा एवं रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के विपरीत होने से तथा संहिता की धारा 44, 47 तथा धारा 50, 51 अवधि विधान की धारा 5 के प्रावधानों को समझे बगैर पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) राजस्व न्यायालयों में उभय पक्षों के मध्य चल रही मुकदमेबाजी का ज्ञान आवेदकगण को प्रारंभ से है। आदेश दिनांक 30.01.2017 अंतरिम प्रकृति का है। इस आदेश के माध्यम से अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील गुण-दोषों पर सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई है। इस स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम स्वीकार करने में किसी प्रकार की क्षेत्राधिकार विषयक त्रुटि नहीं की गई है।

(2) दिनांक 30.01.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 18.07.2017 को प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य है। धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आधार भी विलंब को क्षमा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस स्थिति में आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम निरस्त करते हुए निगरानी को भी निरस्त करने का निवेदन है।

(3) आवेदकगण द्वारा अंतरिम प्रकृति के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है। जैसा कि निवेदन किया गया है कि आवेदकगण के पास अपर आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर है। अपर आयुक्त प्रकरण में सुनवाई नहीं कर सके, इस कारण निगरानी प्रस्तुत की गई है। आवेदकगण को अपर आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए मूल प्रकरण के निराकरण में सहयोग करना चाहिए।

(4) दिनांक 30.01.2017 को पारित आदेश में कोई अवैधानिकता, त्रुटि या वैधानिक शैथिल्यता नहीं है। अपर आयुक्त द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का सही प्रयोग प्रकरण के उचित निराकरण के लिए किया गया है। इससे आवेदकगण को किसी प्रकार की क्षति या हानि नहीं होती है। इस तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत ए.आई.आर. 1987 सुप्रीम कोर्ट 1353 प्रस्तुत किया गया है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर द्वारा निराकृत प्रकरण में अनावेदक को कोई सूचना-पत्र प्रेषित नहीं किया गया और न ही सुनवाई का अवसर

प्रदान किया गया। यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जाता तो अनावेदक को अपरिमित हानि होती। अनावेदक वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्वाधिकारी होकर काबिज है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया अनावेदक के पक्ष में स्थगन जारी किये जाने में है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.11.2005 में की जा रही कार्यवाहियां अन्य आदेश पर्यन्त स्थगित करने में अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा कोई वैधानिक भूल नहीं की गई है। अत: अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30.01.2017 स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर